बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / /2019

संख्या– 3/एल–6–1–17/2017– /**डा0 सरताज अहमद, (वरीयता कमांक–9378), चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद** को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी0), सहपठित वित्त विभागीय पत्रांक–6190 दिनांक 27.04.1979 में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से इस शर्त के साथ ऐच्छिक सेवा निवृति की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि यदि ऐच्छिक सेवानिवृति के पश्चात सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार की अनियमितता का विषय संज्ञान में आता है या दोषी पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही की जायेगी, साथ हीं सेवाकाल की कोई अवधि बाद में अविनियमित पायी जाती है तो उसकी सारी जबावदेही स्वयं चिकित्सक की होगी जिसके विनियमन हेतु उनका दावा मान्य नहीं होगा ।

2. **डा0 सरताज अहमद** भविष्य में बिहार सरकार की सेवा में पुनर्वियोजन/संविदागत नियोजन के पात्र नहीं होंगे ।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3/एल–6–1–17/2017– 740(31)/स्वा0, पटना, दिनांक : 20/6/ 2019

प्रतिलिपि : श्री बिरजू प्रसाद, जी0पी0–13, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को समादेश याचिका सं0 15074/2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही अनुरोध है कि **डा0 सरताज अहमद** का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि की भुगतान की स्वीकृति हेतु उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा दीर्घकालीन बाकी/बेवाकी प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना/अधीक्षक, **सदर अस्पताल, औरंगाबाद/डा0 सरताज अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद**/कोषागार पदाधिकारी, **औरंगाबाद** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. **सिविल सर्जन, औरंगाबाद** से अनुरोध है कि ऐच्छिक सेवा निवृत, **चिकित्सा पदाधिकारी** का सेवान्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति हेतु तीन प्रतियों पेंशन प्रपत्र सहित वांछित कागजात शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा–2,3,8,9 एवं 18ए को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20.6.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\VRS Letter & Notification-2019.docx-18619-3:12pm